

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-: अधिसूचना :-

संघिका संख्या-6/अ0-03-14/2006

पटना, दिनांक:-

श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 19.11.2025 से 21.11.2025 तक कुल 03 (तीन) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 22.11.2025 एवं 23.11.2025 को राजकीय अवकाश के उपभोग की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री जायसवाल के अवकाश लेखा में (284-03=281) दो सौ इक्यासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-14/2006/90

पटना, दिनांक:-15/01/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।